तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के बीच लंदन, इंग्लैंड में आयोजित तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में अंतिम सम्मेलन था। ये सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं, रियासतों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश अधिकारियों के एक विविध समूह को एक साथ लाया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

1. पहला और दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन: प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1931 में हुए, लेकिन उनके परिणामस्वरूप भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका।
2. सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था। आंदोलन में अहिंसक प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. प्रतिभागी: तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, अपने पूर्ववर्तियों की तरह, प्रतिभागियों का एक विविध समूह था। प्रतिनिधियों को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया था:
    - समूह अ: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वशासित प्रांतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
    - ग्रुप बी: रियासतों के प्रतिनिधियों ने भविष्य के भारतीय संघ में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।
    - ग्रुप सी: इस समूह ने अल्पसंख्यक हितों, जैसे धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, पर चर्चा की।
2. चर्चाओं का सिलसिला: तीसरे गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों पर चर्चा जारी रखना था।

परिणाम:

1. निरंतर मतभेद और गतिरोध: तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, अपने पूर्ववर्तियों की तरह, महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिभागियों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद थे, विशेष रूप से रियासतों की भूमिका और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में।
2. कांग्रेस का बहिष्कार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से असंतोष और भारत के लिए पूर्ण स्वशासन के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता की कमी के कारण तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
3. समझौतों तक पहुँचने के प्रयास: चुनौतियों और मतभेदों के बावजूद, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न मुद्दों पर समझौते तक पहुँचने के प्रयास किए गए।
4. दीर्घकालिक प्रभाव: हालाँकि गोलमेज़ सम्मेलनों के परिणामस्वरूप संवैधानिक सुधारों पर कोई व्यापक समझौता नहीं हुआ, लेकिन चर्चाओं और बातचीत ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आकार देने में योगदान दिया। इस अधिनियम ने कुछ संवैधानिक परिवर्तन पेश किए और सत्ता के अंतिम हस्तांतरण के लिए मंच तैयार किया। और 1947 में भारत को आजादी मिली।

तीसरे गोलमेज सम्मेलन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में बातचीत के माध्यम से भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर आम सहमति बनाने के अंतिम प्रयास का प्रतिनिधित्व किया। हालाँकि इससे तत्काल कोई सफलता नहीं मिली, यह उस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा था जिसने स्व-शासन और स्वतंत्रता की दिशा में भारत के मार्ग में योगदान दिया।